दिनांकः 19.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बड़गांव पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ गोकशी के मुकदमें में 25,000/- रुपये का ईनामी वांछित गोकश/अभियुक्त घायलवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर, 02 जिंदा/01 खोखा कारतूस .315 बोर एवं बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि ***वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, गोकशी, हत्या, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिनैती, नशे की तस्करी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग व गश्त*** *की जा रही है।*

इसी क्रम में दिनांक 18.08.2026 की रात्रि को चौकी इंचार्ज मौरा मय पुलिस टीम द्वारा ग्राम मोरा से जड़ौदा पांडा जाने वाली रोड पर हसनपुर लोटनी रजवाहा पुल के पास संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग की जा रही थी। तभी ग्राम मोरा की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति आते दिखायी दिये। संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा मोटसाइकिल सवार व्यक्तियों को रुकने का ईशारा किया गया। पुलिस टीम को देखकर मोटरसाइकिल चालक मोटरसाइकिल मोड़कर हड़बड़ी में तेज गति से हसनपुर लोटनी की तरफ जाने वाले रास्ते पर भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों का पीछा किया गया। कुछ दुरी पर जाकर मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गयी। पुलिस टीम को अपने नजदीक आता देख बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी गयी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में 01 बदमाश / अभियुक्त को गोली लगने से घायलवस्था में गिरफ्तार किया गया एवं 01 अन्य बदमाश जंगल व अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। फरार बदमाश की तलाश हेतु लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। घायल/गिरफ्तार बदमाश की पहचान ***इंतजार उर्फ इंतसार उर्फ काका उर्फ इंसार पुत्र फुरकान उर्फ फरमान निवासी ग्राम सोनचिड़ा थाना नागल जनपद सहारनपुर*** *के रुप में हुई। अभियुक्त के* ***कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर, 02 जिंदा / 01 खोखा कारतूस .315 बोर एवं 01 मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट*** *बरामद हुई। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना बड़गांव पर मु0अ0सं0 212/2026 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त* ***थाना बड़गांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0 210/2026 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम के मुकदमें में वांछित*** *चल रहा था* ***जो 25,000/- रूपये का ईनामी बदमाश*** *है। गिफ्तार/घायल अभियुक्त एक शातिर किस्म का अभ्यस्त अपराधी है जिसके विरूद्ध जनपद सहारनपुर के विभिन्न थानों पर गैंगस्टर एक्ट, एनडीपीएस, गोकशी, आर्म्स एक्ट, व चोरी/नकबजनी आदि गम्भीर धाराओं में लगभग एक दर्जन से अधिक मुकदमें दर्ज है। घायल/गिरफ्तार बदमाश के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

पूछताछ का विवरणः- *गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैने अपने साथियो के साथ मिलकर दिनांक 15.08.2026 को मौरा गांव के जगंल मे गोकशी की थी तथा शेष बचे अवशेषो को वही फेंक दिया था। गोकशी करने से पहले जंगल में सुनसान जगह का मुआयना कर लेते है और फिर मौका मिलते ही गोकशी कर देते है और मांस को पन्नियों में पैक कर अलग-अलग स्थानो पर मुस्लिम बस्तियों में जाकर बेच देते है इस काम में अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है तथा गौवंश के सिर आदि अवशेषो को वही पर फेंस कर चले जाते थे मै व मेरे साथी*

जगह बदल बदल कर पशु कटान की घटना करते है। आज भी मै व मेरे साथी मोटरसाइकिलो से पशु कटान करने के इरादे से सुनसान जगह की तलाश कर रहे थे।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1- इंतजार उर्फ इंतसार उर्फ काका उर्फ इंसार पुत्र फुरकान उर्फ फरमान निवासी ग्राम सोनचिड़ा थाना नागल जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- *01 तमंचा .315 बोर*
- *02 जिंदा कारतूस .315 बोर*
- *01 खोखा कारतूस .315 बोर*
- *01 बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाइकिल*

अभियुक्त इन्तजार उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. *मु0अ0सं0 246/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बडगांव जनपद सहारनपुर*
2. *मु0अ0सं0 277/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*
3. *मु0अ0सं0 377/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर*
4. *मु0अ0सं0 283/2018 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नागल जनपद सहारनपुर*
5. *मु0अ0सं0 175/2021 धारा 307/504 भादवि थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर*
6. *मु0अ0सं0 176/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर*
7. *मु0अ0सं0 148/2023 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर*
8. *मु0अ0सं0 318/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर*
9. *मु0अ0सं0 303/2024 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 109(1)190/191(2)/191(3)/3(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रामपुर मनिहारान*
10. *मु0अ0सं0 230/2018 धारा 380/411 भादवि थाना नागल जनपद सहारनपुर*
11. *मु0अ0सं0 106/2026 धारा 305(ए)/317(4) बीएनएस थाना नानौता जनपद सहारनपुर*
12. *मु0अ0सं0 43/2026 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना बडगांव जनपद सहारनपुर*
13. *मु0अ0सं0 79/2026 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना बडगांव जनपद सहारनपुर*
14. *मु0अ0सं0 210/26 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना बडगांव जनपद सहारनपुर*
15. *मु0अ0सं0 212/26 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बडगांव जनपद सहारनपुर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1- उ0नि0 श्री नरेन्द्र भडाना थानाध्यक्ष थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
2- उ0नि0 श्री संदीप कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
3- उ0नि0 मौ कामिल थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
4- है0का0 285 राहुल खोखर थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
5- रि0का0 112 हिमाशु थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
6- रि0का0 151 मौ0 बिलाल थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

दिनांक- 19-08-2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध कडी कार्यवाही

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 319 ग्राम अवैध चरस बरामद

*अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है।*

*अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 18.08.2026 को चैकिंग के दौरान **01 नशा तस्कर अभियुक्त सनव्वर उर्फ पप्पू पुत्र अनीस निवासी ग्राम दतौली मुगल थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर** को छुटमलपुर कट के निकट खण्डर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 319 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 325/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया है अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सनव्वर उर्फ पप्पू पुत्र अनीस निवासी ग्राम दतौली मुगल थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण -

- *319 ग्राम अवैध चरस*

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

- *मु0अ0सं0 317/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।*
- *मु0अ0सं0 325/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 श्री अमित सोनी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।*
3. *है0का0 307 प्रदीप कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर।*
4. *है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर।*
5. *है0का0 231 रोहित कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर।*

दिनांक- 19-08-2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध कडी कार्यवाही

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 95 ग्राम अवैध चरस बरामद

*अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है।*

*अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 18.08.2026 को चैकिंग के दौरान **01 नशा तस्कर अभियुक्त दानिश उर्फ फहीम पुत्र शमशाद निवासी ग्राम दतौली मुगल थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर** को निकट ईदगाह कमालपुर कच्चा रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 95 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 326/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया है अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

दानिश उर्फ फहीम पुत्र शमशाद नि0 ग्राम दतौली मुगल थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण -

- *95 ग्राम अवैध चरस*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 श्री सुबोध शर्मा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।*
3. *है0का0 851 विपिन पाठक थाना फतेहपुर सहारनपुर।*
4. *का0 1323 कुलदीप कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर।*
5. *का0 793 अंकित कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर।*

दिनांक- 19-08-2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध कडी कार्यवाही

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 88 ग्राम अवैध चरस बरामद

*अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है।*

*अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 18.08.2026 को चैकिंग के दौरान **01 नशा तस्कर अभियुक्त राशिद पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम दतौली मुगल थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर** को निकट ईदगाह कमालपुर कच्चा रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 88 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 327/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया है अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

राशिद पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम दतौली मुगल थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण -

- *88 ग्राम चरस*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 श्री सजल कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।*
3. *है0का0 581 लक्ष्मीप्रसाद थाना फतेहपुर सहारनपुर।*
4. *का0 784 निशान्त कमल थाना फतेहपुर सहारनपुर।*

दिनांक 19.08.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से 250 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी/बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में "ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है।

*इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन मे, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम नगर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त दानिश पुत्र परवेज निवासी मौहल्ला एकता कालोनी गली न0-03 सकूरी मस्जिद के पास थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को जे0वी0जैन इण्टर कालिज के बराबर वाली गली के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त दानिश उपरोक्त के कब्जे से कुल **250 ग्राम अवैध चरस** बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मण्डी पर **मु0अ0सं0 426/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट** अभियुक्त दानिश उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। अभियुक्त दानिश उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

दानिश पुत्र परवेज निवासी मौहल्ला एकता कालोनी गली न0-03 सकूरी मस्जिद के पास थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

❖ *250 ग्राम अवैध चरस*

अभियुक्त दानिश उपरोक्त का अपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0- 17/2025 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

2. मु0अ0सं0- 426/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

1. प्र0नि0 श्री सतपाल सिंह भाटी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अयूब अली थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. है0का0 424 गौरव त्यागी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. है0का0 658 अनिल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

दिनांक- 19.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान ***01 वारण्टी अभियुक्त तीर्थपाल पुत्र नर सिंह निवासी ग्राम अब्दुल्लापुर अहाडी थाना चिलकाना जिला सहारनपुर*** *को सम्बन्धित वाद सं0- 2794/23 व मु0अ0सं0 129/2001 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना (मा0 न्यायालय श्रीमान जेएम द्वितीय सहारनपुर) नियत तिथि 19.08.2026 में ग्राम अब्दुल्लापुर अहाडी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. *तीर्थपाल पुत्र नर सिंह निवासी ग्राम अब्दुल्लापुर अहाडी थाना चिलकाना जिला सहारनपुर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. *उ0नि0 श्री अंकुर चौधरी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।*
2. *रि0आ0 620 सुजल कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*
3. *रि0आ0 576 भूपेन्द्र थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*

दिनांक- 19.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमें में 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया

घटना का विवरणः- दिनांक 18.08.2026 को वादी श्री जयपाल पुत्र विशम्बर निवासी ग्राम समसपुर थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभि0गण 1. जाती पुत्र राजू नि0 ग्राम ताल्हापुर थाना बिहारीगढ स0पुर 2. अंकुल, 3. सावन, 4.बादल, 5. सागर व 6. रोहित व कुछ अज्ञात व्यक्तियो के द्वारा एक राय होकर वादी को राजू निवासी ग्राम रहीमपुर बिहारीगढ के घर मे घुसते हुए जबरदस्ती उठाकर ग्राम रहीमपुर से ताल्हापुर ले जाने, वादी के साथ लाठी डंडो से मारपीट कर छवि खराब करने के उद्देश्य से अपमानित करने, वादी के गले मे रस्सी डालकर गला घोटकर जान से मारने का प्रयास करने व गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुए अधमरी हालत में सडक किनारे फेंककर चले जाने के सम्बन्ध मे थाना बिहारीगढ़ पर मु0अ0स0 138/26 धारा 191(2)/ 333/138/133/109(1)/115(2)/352/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 अशोक कुमार द्वारा सम्पादित की जा रही है।

पुलिस कार्यवाहीः- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना के तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बिहारीगढ़ श्री सतेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बिहारीगढ़ पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में **02 वांछित अभियुक्तगण 1. सागर पुत्र प्रीतम सिंह निवासी ग्राम ताल्हापुर थाना बिहारीगढ सहारनपुर व 2. बादल पुत्र धर्म सिंह निवासी ग्राम ताल्हापुर थाना बिहारीगढ सहारनपुर** को ग्राम ताल्हापुर से रहीमपुर को जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया एवं **01 बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण** में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. सागर पुत्र प्रीतम सिंह निवासी ग्राम ताल्हापुर थाना बिहारीगढ सहारनपुर
2. बादल पुत्र धर्म सिंह निवासी ग्राम ताल्हापुर थाना बिहारीगढ सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र सिंह थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री संजीव यादव थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
3. है0का0 1218 विकास थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
4. का0 2014 राहुल थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
5. का0 544 योगेश थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
5. का0 2283 राजकुमार थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
6. का0 504 आरिफ थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
7. का0 550 नवनीत थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर

दिनांकः 19.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से लोहे की पत्ती तलवारनुमा (घटना में प्रयुक्त) बरामद

घटना का विवरणः- दिनांक 04.08.2026 को वादी श्री तालिब पुत्र मुकीम बैग निवासी मौहल्ला सैय्यदान कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. अलीशान, 2. हमजा, 3. रानी व इकरा निवासीगण ग्राम मौहल्ला सैय्यदान कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर द्वारा एक राय होकर वादी के घर में घुस कर अभियुक्त अलीशान द्वारा हाथ में तलवार लेकर वादी व वादी के परिजनों के ऊपर जान से मारने की नियत से हमला करना तथा गाली-गलौच व मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने की सूचना के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0स0 368/2026 धारा 109(1)/118(1)/115(2)/352/351(2)/333 बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाहीः- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री इन्द्रेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में **01 वांछित अभियुक्त अलीशान पुत्र शानू उर्फ शाहनवाज नि0 मौ0 सैय्यदान कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को लखनौती रोड से ग्राम बुड्डाखेडा जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे एक अदद लोहे की पत्ती तलवारनुमा (घटना में प्रयुक्त) बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 3(5) बीएनएस व धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम की वृद्वि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अलीशान पुत्र शानू उर्फ शाहनवाज निवासी मौहल्ला सैय्यदान कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

01 लोहे की पत्ती तलवारनुमा (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री आजाद सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. है0का0 321 राहुल कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. है0का0 449 लोकेश कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

दिनांक- 19.08.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 02 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 35.2 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी,बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में ***"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"*** *अभियान चलाया जा रहा है।*

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 02 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्तगण ***1.रणधीर उर्फ रनधीर पुत्र राकेश शर्मा निवासी कृष्णा नगर, वर्मा कोचिंग सेंटर वाली गली, थाना मण्डी जनपद सहारनपुर व 2.साहिल उर्फ गड्डी पुत्र नसीम निवासी इन्द्रा चौक, गली न0- 2 चांद मस्जिद के पास थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*** *को रेलवे के बंद पड़े प्लेटफार्म, माल गोदाम रोड थाना कुतुबशेर सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से कुल 35.2 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 377/26 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणो के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता -

1. रणधीर उर्फ रनधीर पुत्र राकेश शर्मा नि0 कृष्णा नगर वर्मा कोचिंग सेंटर वाली गली, थाना मण्डी, सहारनपुर।
2. साहिल उर्फ गड्डी पुत्र नसीम निवासी इन्द्रा चौक, गली न0- 2 चांद मस्जिद के पास थाना मण्डी, सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 35.2 ग्राम अवैध स्मैक

अभियुक्त रणधीर उर्फ रनधीर का अपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 111/23 धारा 3/25 Arms ACT थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 151/25 धारा 13 जी एक्ट थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त साहिल उर्फ गड्डी अपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 300/26 धारा 8/20 NDPS ACT थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

2. मु0अ0स0 406/25 धारा 3(5), 305(a), 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

2. उ0नि0 श्री उ0नि0 सुभाष चन्द्र थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

3. का0 2043 सद्दाम हुसैन थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

4. का. 1826 मोनू कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 19.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

*अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 19.08.2026 को एक वारण्टी अभियुक्त **सागर पुत्र मांगेराम निवासी राधा बिहार कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित एसटी संख्या 67/25 व मु0अ0सं0 244/24 धारा 163(1) बीएनएस चालानी थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर (मा0 न्यायालय अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश कक्ष सं01 सहारनपुर) को राधा विहार कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सागर पुत्र मांगेराम निवासी राधा बिहार कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. *उ0नि0 सुन्दर सिंह कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।*
2. *है0का0 862 विपिन कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।*
3. *का0 2486 जितेन्द्र कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।*

दिनांक 19.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना तीतरो पुलिस द्वारा गश्त व चैकिंग के दौरान जुआ खेलते हुए 03 जुआरी अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 52 ताश के पत्ते, 2700/- रूपये नकद, 01 फड अखबार बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष तीतरों श्री विकास चारण के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना तीतरों पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान जुआ खेलते हुए ***03 अभियुक्तगण 1. रोहित पुत्र सीताराम निवासी ग्राम कोलाखेडी थाना तीतरो जनपद सहारनपुर, 2. मुनेश पुत्र धर्मपाल निवासी असरपुर थाना झिझांना जनपद शामली व 3. सन्नी पुत्र राजू निवासी ग्राम दौकपुर थाना झिझांना जनपद शामली*** *को ग्राम रादौर मे मोहकम की यटूबवैल से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 52 ताश के पत्ते, 2700/- रुपये नकद व 01 फड अखबार बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध मे अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना तीतरो पर मु0अ0सं0 112/26 धारा 13 जुआ एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. *रोहित पुत्र सीताराम निवासी ग्राम कोलाखेडी थाना तीतरो जनपद सहारनपुर*
2. *मुनेश पुत्र धर्मपाल निवासी असरपुर थाना झिझांना जनपद शामली*
3. *सन्नी पुत्र राजू नि0 ग्राम दौकपुर थाना झिझांना जनपद शामली*

बरामदगी का विवरणः-

52 पत्ते ताश , 2700 रुपये नकद व एक फड अखबार

अभियुक्त सन्नी उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 222/26 धारा 115(2)/118(1)/333/351(2) बीएनएस थाना झिझाना जनपद शामली

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. *थाना प्रभारी श्री विकास चारण थाना तीतरों जनपद सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार थाना तीतरों जनपद सहारनपुर*
3. *है0का0 1035 सचिन लाकडा थाना तीतरों जनपद सहारनपुर*
4. *है0का0 1283 सतीश कुमार थाना तीतरों जनपद सहारनपुर*
5. *रि0का0 2639 प्रेम सिंह थाना तीतरों जनपद सहारनपुर*

दिनांक: 19.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा कानून एवं शांति व्यवस्था भंग की आशंका के दृष्टिगत 04 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम मे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक फतेहपुर श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व मे आज दिनाँक 19.08.2026 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान ***कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत 04 अभियुक्तगण 1. रोहिताश पुत्र सुखवीर सिंह निवासी ग्राम मुसैल थाना फतेहपुर सहारनपुर, 2. जसबीर पुत्र साधूराम निवासी ग्राम मुसैल थाना फतेहपुर सहारनपुर, 3. रोहित पुत्र कुशलपाल निवासी ग्राम फरकपुर नवादा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर व 4. नितिन पुत्र रोहिताश निवासी ग्राम फरकपुर नवादा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर*** *को अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस में* ***थाना फतेहपुर क्षेत्र से*** *गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. *रोहिताश पुत्र सुखवीर सिंह निवासी ग्राम मुसैल थाना फतेहपुर सहारनपुर,*
2. *जसबीर पुत्र साधूराम निवासी ग्राम मुसैल थाना फतेहपुर सहारनपुर,*
3. *रोहित पुत्र कुशलपाल निवासी ग्राम फरकपुर नवादा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर*
4. *नितिन पुत्र रोहिताश निवासी ग्राम फरकपुर नवादा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिह राणा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री बबलू कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर*
3. *उ0नि0 श्री रामआसरे थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर*
4. *है0का0 1110 प्रेम चौधरी थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर*
5. *का0 244 धर्मेन्द्र कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर*

दिनांक:19.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा दहेज हत्या के मुकदमें में 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरणः- *दिनांक 07.04.2026 को वादी श्री जितेन्द्र पुत्र राममूर्ति निवासी ग्राम पहाडपुर थाना नागल जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण द्वारा वादी की बहन प्रीति को उसके पति व ससुराल वालो ने कम दहेज लाने के कारण हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना बड़गांव पर मु0अ0सं0 91/2026 धारा 103(1)/85/80(2) बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट बनाम नितिन उर्फ आलोक आदि 05 के पंजीकृत किया गया।*

पुलिस कार्यवाहीः- *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एव वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी बडगाँव श्री नरेन्द्र भडाना के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बड़गांव पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में* ***02 वांछित अभियुक्तगण 1- राकेश कुमार पुत्र रामशरण निवासी ग्राम बडगांव थाना बडगांव जनपद सहारनपुर तथा अभियुक्ता व 2- रोशन देवी पत्नी राकेश कुमार निवासी ग्राम बडगांव थाना बडगांव जनपद सहानपुर*** *को ग्राम बडगांव से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. *राकेश कुमार पुत्र रामशरण निवासी ग्राम बडगांव थाना बडगांव जनपद सहारनपुर*
2. *श्रीमती रोशन देवी पत्नी राकेश कुमार निवासी ग्राम बडगांव थाना बडगांव जनपद सहानपुर*

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का नाम पता

1- थानाध्यक्ष श्री नरेन्द्र भडाना थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

2- उ0नि0 श्री संदीप कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

3- कां0 352 चन्द्र विजय थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

4- म0कां0 1017 अल्पना थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक –19.08.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरणः- *दिनांक 04.08.2026 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त अनुज पुत्र यशपाल निवासी बाल्मिकि बस्ती सैदपुरा रोड कस्बा व थाना सरसावा जनपदु सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को भगा ले जाने के संबंध मे थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 253/26 धारा 137(2) बीएनएस में पंजीकृत किया गया। विवेचना एवं पीडिता के बयान आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 115(2),351(2),127(1),64(1) बीएनएस व 3/4 पोक्सो अधिनियम की वृद्धि की गई।*

पुलिस कार्यवाहीः- *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे महिला सम्बन्धी अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट परिवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष सरसावा श्री प्रवेश कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 19.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित* ***अभियुक्त अनुज पुत्र यशपाल निवासी बाल्मिकी बस्ती सैदपुरा रोड कस्बा व थाना सरसावा जनपदु सहारनपुर*** *को नकुड रोड पर हाईवे पुल के नीचे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अनुज पुत्र यशपाल निवासी बाल्मिकी बस्ती सैदपुरा रोड कस्बा व थाना सरसावा जनपदु सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. *थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार शर्मा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री रविन्द्र कसाना थाना सरसावा जनपद सहारनपुर*
3. *का0 2525 अनूप कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर*
4. *का0 2431 दीपक कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

दिनांकः 19.08.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ 01 शातिर गौकश अभियुक्त घायलवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 जिन्दा बछड़ा, 01 तमंचा 315 बोर, 02 जिंदा/01 खोखा कारतूस .315 बोर, गोकशी के उपकरण व 01 मोटरसाइकिल बरामद।

अवगत कराना है कि **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, गोकशी, हत्या, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिनैती, नशे की तस्करी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग व गश्त** की जा रही है।

इसी क्रम में आज दिनांक 19.08.2026 को प्रभारी निरीक्षक वीरेन्द्र सिह राणा मय पुलिस फोर्स के मुजफ्फराबाद से ग्राम खुजनावर की तरफ चेकिंग व गश्त करते हुए आ रहे थे पुलिस टीम जब ग्राम खुजनावर पहुचे तो मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खुजनावर से मुजफ्फरपुर रोड पर मुर्गी फार्म जाने वाले खडंजे पर दो व्यक्ति गौकंशी करने की फिराक में है इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मुखबिर के बताये स्थान पर पहुँचे तो गौकशी करने जा रहे दो संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम को अपने नजदीक आते देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया, इस पर पुलिस टीम द्वारा अपना बचाव करते हुए आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के दाहिने पैर मे गोली लगने से घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। घायल/गिरफ्तार बदमाश की पहचान **दिलबाहर उर्फ दिल्लू पुत्र उमरदीन निवासी फरकपुर नवादा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** के रूप में हुई। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु सीएचसी फतेहपुर में भर्ती कराया गया। अभियुक्त के **कब्जे से 01 जिन्दा बछडा, 01 तमंचा 315 बोर, 02 जिंदा/01 खोखा कारतूस .315 बोर, गोकशी के उपकरण व 01 मोटरसाइकिल** बरामद। घायल बदमाश का एक साथी जंगल व कीचड़ का फायदा उठाकर मौके से फरार गया, जिसकी तलाश हेतु लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 328/2026 धारा 109 बीएनएस व 3/8 गौ वध अधिनियम, 3/25/27 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1- दिलबाहर उर्फ दिल्लू पुत्र उमरदीन निवासी फरकपुर नवादा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 तमंचा .315 बोर
- 02 जिंदा कारतूस .315 बोर
- 01 खोखा कारतूस .315 बोर
- 01 बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाइकिल
- 01 जिन्दा बछड़ा

अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 105/26 धारा 3/8 सीएस एक्ट चालानी थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 86/25 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट चालानी थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

3. मु0अ0सं0 328/2026 धारा 109 बीएनएस व 3/8 सीएस एक्ट अधिनियम, 3/25/27 आर्म्स एक्ट चालानी थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1- प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

2- उ0नि0 बबलू कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

3- है0का0 581 लक्ष्मी प्रसाद थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

4- है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

5- है0का0 231 रोहित चौधरी थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

6- है0का0 1032 ललित कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

7- है0का0 1336 प्रशान्त कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

8- का0 412 धनुज कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

9- का0 1323 कुलदीप कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

10- रि0का0 766 अमरजीत सिंह थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

11- रि0का0 788 रितिक कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

दिनांक-19.08.2026

-प्रेस नोट-

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-देबबंद जनपद सहारनपुर द्वारा हत्या के मुकदमे में अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजा</u> –

अवगत कराना है, कि दिनांक 25.08.2018 को वादी श्री देशराज पुत्र नन्दू सिंह निवासी सांबत खेडी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर की पुत्री के साथ अभियुक्तगण 1.अरूण कुमार पुत्र राजकुमार, 2.राजकुमार पुत्र पल्टू, 3.शोदरा पत्नी राजकुमार निवासीगण ग्राम जगदेई थाना देबबंद जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की पुत्री का गला घोंटकर हत्या कर देने की सूचना पर मु0अ0स0-798/18 धारा 498ए,304बी भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 थाना देबबंद जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। विवेचना एवं साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमें में धारा 302 भादवि की वृद्धि की गयी। उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-43/19 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-देबबंद जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-देबबंद जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 19.08.2026 को अभियुक्त अरूण कुमार पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम जगदेई थाना देबबंद जनपद सहारनपुर को मु0अ0स0-798/18 धारा 302 भादवि का दोषी पाते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।*

नोटः अभियुक्तगण 1. राजकुमार पुत्र पल्टू व 2. शोदरा पत्नी राजकुमार निवासीगण ग्राम जगदेई थाना देबबंद जनपद सहारनपुर को समस्त धाराओं में तथा अभियुक्त अरूण कुमार पुत्र राजकुमार को धारा 498ए,304बी भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में दोषमुक्त किया गया।

शासकीय- अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री देवीदयाल शर्मा
विवेचक- क्षेत्राधिकारी श्री सिद्धार्थ
पैरोकार- हे0का0 180 कपिल कुमार थाना देबबंद जनपद सहारनपुर।